अपील सूचना अधिकार संख्या 09/2020(GCMS 2020/00009)(पोस्ट ऑर्डर संख्या 46एफ 986583) श्री राधेश्याम गोयल निवासी मकान नं. 2[illegible] ब्लॉक, श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 94139—35077) बनाम प्रभारी अधिकारी पंजीयन शाखा, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.03.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी पंजीयन शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.11.2019 से नौ बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, पंजीयन शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.11.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, पंजीयन शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से निम्न नौ बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. प्रार्थी का पत्रांक दिनांक 30.10.2019 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व आर/आर नं. की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
3. पत्र प्राप्ति से इस पत्र का जवाब देने तक जो जो कार्यवाही की गयी उस कार्यवाही की सूचना [illegible] की प्रमाणित प्रति।
4. आपके पत्रांक 651 [illegible] 05.04.20[illegible] [illegible] कार्याधिकारी,श्रीगंगानगर को सम्बोधित है। 05.04.2019 से इस प्रार्थना पत्र के जवाब [illegible] तक जो जो कार्यवाही जिस कर्मकार व अधिकारी द्वारा की गई, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

5. श्री महेन्द्र छाबड़ा स्टाम्प वेण्डर द्वारा वर्ष 2000—2001 का स्टाम्प रजिस्टर जमा न करवाने पर उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
6. श्री कोषाधिकारी को लिखे पत्रांक 651 से 653 दिनांक 05.04.2019 पर कोषाधिकारी द्वारा जो—जो कार्यवाही की गई है, उस कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
7. दिनांक 05.04.2019 से दिनांक 11.11.2019 तक इस पत्रांक 651 से 653 दिनांक 05.04.2019 पर आप द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना 11.11.19 तक।
8. आपके आदेश की पालना पत्रांक उपरोक्त 5.4.2019 पर कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अवहेलना करने पर धारा 188 आईपीसी के तहत की गई कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
9. धारा 188 आईपीसी के तहत आज्ञा की /आदेश की अवहेलना पर कार्यवाही जिस नियम के अन्तर्गत नहीं की गयी है, उस नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

प्रभारी अधिकारी पंजीयन एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक पंजीयन/2020/57 दिनांक 22.01.20 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:41 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विष[illegible]लेख है कि आप द्वारा इस कार्यालय में आवेदन [illegible] 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 11.11.19 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 09/2020

है। जिसमें आप द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 9 तक सूचना चाही गई है। अतः इस हेतु सूचना देने से पूर्व निर्धारित 2/— प्रति पृष्ठ शुल्क से कुल पृष्ठ 05 के हिसाब से 10/— रूपये आप इस कार्यालय में कार्यदिवस में जमा करवायें, जिससे आपको वांछित सूचना भिजवाई जा सके।

-sd-
(डा. गुन्जन सोनी)
प्रभारी अधिकारी पंजीयन
एवं अति. जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रभारी अधिकारी, पंजीयन एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने उक्तानुसार प्रार्थी को सूचित किया गया है, कि **अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार राजकोष में राशि जमा कर सूचनाएं प्राप्त कर सकता है।** इसलिए प्रभारी अधिकारी पंजीयन एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप आवश्कता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी पजीयन एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.03.2023 **को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:41 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर